

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक-127 / 11-सी-FP/UP/Others/118929/2021, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 17, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),  
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल अडानी गैस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अनीवास एवं मखैना में पड़ने वाले अनूपशहर ब्रांच नहर को कास करते हुए भूमिगत स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.015 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।  
प्रस्ताव सं०- FP/UP/Others/118929/2021

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०९/२४८/२०२२/एफ०सी०/४५३, दिनांक-०२.०९.२०२२

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक-137/14-1, दि० 10.07.2023 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित की गयी आपत्ति का निराकरण ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-127 / 11-सी-FP/UP/Others/118929/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बुलन्दशहर।
- 3- सहायक प्रबन्धक, इण्डियन अडानी गैस प्राईवेट लिमिटेड, अलीगढ़।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-127 / 11-सी-FP/UP/Others/118929/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।